उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)
संख्या-9/2020/776/सात-न्याय-2/2020-732/86
लखनऊ : दिनांक 4 मई, 2020

अधिसूचना

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 66 सन् 1984) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समस्त समर्थकारी उपबन्धों का प्रयोग करके माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एवं न्यायाधीशगण उत्तर प्रदेश राज्य में कुटुम्ब न्यायालयों के लिये एतद्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं एवं विहित करते हैं:-

उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय (न्यायालय) (संशोधन) नियमावली, 2020

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
   (1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय (न्यायालय) (संशोधन) नियमावली 2020" कही जायेगी।
   (2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाः- "नियमावली का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय (न्यायालय) नियमावली, 2006" से है।

3. नियम-2 के खण्ड (ग) में संशोधनः-नियमावली के नियम-2 के विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगाः-

विद्यमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
(सी) "न्यायालय" का अभिप्रेत परिवार न्यायालय, अधिनियम के धारा 33 के अधीन स्थापित से है।	(सी) "न्यायालय" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित कुटुम्ब न्यायालय से है।

4. नियम-58 में संशोधन नियमावली के विद्यमान नियम 58 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा:-

विद्यमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
58.-न्यायालय के प्रत्येक प्रधान न्यायाधीश और न्यायाधीश, जनपद न्यायाधीश के प्रशासनिक और अनुशासनिक नियंत्रण तथा उच्च न्यायालय के सम्पूर्ण नियंत्रण में होंगे।	58.-प्रत्येक प्रधान न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के प्रशासनिक एवं अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे तथा न्यायालय के प्रत्येक अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सम्पूर्ण नियंत्रण के अध्यधीन, प्रधान न्यायाधीश के प्रशासनिक एवं अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे।

न्यायालय के आदेश से,

(जे0 पी0 सिंह-।।)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-9/2020/776(1)/सात-न्याय-2/2020-732/86-तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय प्रेस ऐशबाग, लखनऊ को उपर्युक्त विषयक अधिसूचना की एक प्रमाणित प्रति सहित इस अभ्युक्ति सहित प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) के संस्करण में दिनांक 4 मई, 2020 की तिथि में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा मुद्रित अधिसूचना की 300 प्रतियाँ इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विपिन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-9/2020/776(2)/सात-न्याय-2/2020-732/86-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-4119/2020/रजिस्ट्रार(जे) (आई) दिनांक 17 मार्च, 2020 के संदर्भ में।
2- समस्त प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विपिन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Uttar Pradesh Shasan
Nyaya Anubhag-2(Adhinastha Nyayalaya)
No.-9/2020/776/Saat- Nyaya -2/2020-732/86
Lucknow : Dated- 4 May, 2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Family Courts Act, 1984 (Act No. 66of 1984) and all enabling provisions in that behalf, the Hon'ble Chief Justice and Judges hereby make and prescribe the following Rules for the Family Courts in the State of U.P.

THE UTTAR PRADESH FAMILY COURTS (COURT) (AMENDMENT) RULES, 2020

1. Short title and commencement.- (1)These Rules may be called "the Uttar Pradesh Family Courts (Court) (Amendment) Rules 2020."

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.- The Rules mean "the Uttar Pradesh Family Courts (Court) Rules, 2006."

3. Amendment in clause (c) of Rule 2.- In place of existing cause (c) of Rule 2 of the Rules, the following clause shall be substituted:

Existing Rule	Proposed Amendment
(c) "Court" means the Family Courts, establishment under Section 33 of the Act**.**	**(c)** "Court" means the Family Courts, **established** under **Section 3** of the Act.

4. Amendment in Rule 58.- In place of the existing Rule 58 of the Rules, the following Rule shall be substituted:

Existing Rule	Proposed Amendment
58.- Every Principal Judge, and Judge of the Court shall be under administrative and disciplinary control of the District Judge and overall control of the High Court.	**58.- Every Principal Judge shall be under administrative and disciplinary control of the High Court and every other Judge of the Court shall, subject to the overall control of the High Court, be under administrative and disciplinary control of the Principal Judge.**

By order of the Court,

(J. P. Singh-II)
Pramukh Sachiv

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।